

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम ज  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

4/6/13

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थनी के वकिल उप0।


प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 266/104 रकबा 29.19 बीघा, मौजा- नागोणा, पटवार हल्का- कानासर, भु- अभिलेख निरीक्षक- कानासर, तह0 शिव में भूमि आई हुई है।

प्रार्थनी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थनी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं तथा प्रार्थनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 26 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 26 के सम्मन तामील हो गए हैं। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थनी के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थनी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।


अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थनी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

— आदेश —

अतः श्रीमती लतादेवी पत्नी जसवंतकुमार, जाति— खत्री, नि० शिव, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 266/104 रकबा 29.19 बीघा, मौजा— नागोणा, पटवार हल्का— कानासर, भु— अभिलेख निरीक्षक— कानासर, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

आदेश तहरीर  
4277-4283  
08.06.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :-312/2017


क्रमांक/आवेदन/19/4277

दिनांक-08.06.2019

प्रार्थनी बनाम विप्रार्थीगण  
श्रीमती लता देवी पत्नी जसवंतकुमार, जाति- राणाराम पुत्र सोनाराम वगैरा (26)  
खत्री, नि0 शिव, तह0 शिव।  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 266/104 रकबा 29.19 बीघा, मौजा - नागोणा, पटवार हल्का- कानासर, भू- अभिलेख निरीक्षक- कानासर, तह0 शिव के चारो तरफ रथाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थनी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थनी के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/4278-4283

दिनांक-08.06.2019

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवार कानासर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थनी श्रीमती लतादेवी पत्नी जसवंतकुमार को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण राणाराम पुत्र सोनाराम वगैरा (26) को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

Scanned by CamScanner

